सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2024/45 दर्ज तिथिः–29.11.2024

1. मोहम्मद इस्माईल पुत्र मोहम्मद अली चौहान जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

................अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये सरपंच महोदय

..................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री शिवगौतम सोलंकी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–31.10.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील जिसके द्वारा विरासतन नामान्तरकरण संख्या 570 दिनांक 19.11.2024 निरस्त किया गया है। अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि में नामान्तरण संख्या 570 दिनांक 21.11.2024 रोही मौजा ढ़ाणी लालसिंहपुरा व खसरा संख्या 1119/985 तादादी 0.0505 हैक्ट., खसरा संख्या 1120/985 तादादी 1.0624 हैक्ट., खसरा संख्या 366 तादादी 2.4408 हैक्ट., खसरा संख्या 387 तादादी 0.5691 हैक्ट, खसरा संख्या 920/350 तादादी 0.5059 हैक्ट., खसरा संख्या 921/349 तादादी 0.9106 हैक्ट., खसरा संख्या 984/350 तादादी 1.1129 हैक्ट., खसरा संख्या 986/349 तादादी 0.7588 हैक्ट. एवं खसरा संख्या 987/349 तादादी 0.8853 हैक्ट. कुल किता 09 तादादी 8.2963 हैक्ट. वाके ढ़ाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जो अपीलान्ट की माता व बहन का विरासतन इन्तकाल संख्या 570 दिनांक 19.11.2024 को पंचायत श्योपुरा से खारिज हो चुका है जिसमें राबिया पत्नी मोहम्मद का 1/12 हिस्सा की कृषि भूमि का इन्तकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज करवाने के लिए पंचायत श्योपुरा की बैठक दिनांक 20.11.2024 को पेश हुआ मगर दिनांक 21.11.2024 को पंचायत द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया जो कि न्याय संगत नहीं होने से विधि विरूद्ध है। इस अीोल के साथ इन्तकाल, जमाबंदी एवं मूल प्रार्थना–पत्र के समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जा रही है।
2. अपील की मद संख्या 01 में दर्ज कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि है जो कि ग्राम पंचायत श्योपुरा में इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पंचायत की बैठक बुलाई गई मगर अपीलान्ट के दस्तावेज का किसी प्रकार अवलोकन नहीं किया गया और ना ही दस्तावेजात देखे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested

गये केवल मात्र राजनैतिक कारणों के चलते उक्त अपीलान्ट की कृषि भूमि के इन्तकाल को खारिज कर दिया गया जो कि सही नहीं जिसकी अपील न्यायालय में पेश की जा रही है।

3. रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से विधि विरूद्ध बिना किसी जांच कि बिना मौका देख नामान्तरण खारिज किया है। उक्त आदेश व निर्णय निम्न आधारों व निरस्त किये जाने के काबिल है।

4. अपीलान्ट की अपने पिता से विरासतन आई हुई कृषि भूमि है जिसमें उसकी माता राबिया के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज हैं और अपीलान्ट की माता राबिया का स्वर्गवास दिनांक 06.03.2010 एवं बहन रजिया का स्वर्गवास दिनांक 17.02.2018 को हो चुका है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के हक में विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत में पेश की मगर ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये पैतृक विरासतन इन्तकाल खारिज कर दिया।

5. हल्का पटवारी ढ़ाणी लालसिंहपुरा ने यह भी रिपोर्ट की है कि उक्त इंतकाल दर्ज पंचायत बैठक में रख दी मगर राजनैतिक द्वेषता के चलते उक्त इंतकाल संख्या 570 दिनांक 19.11.2024 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय में पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है।

6. अपीलगत निर्णय व आदेश ग्राम पंचायत श्योपुरा के द्वारा दिनांक 21.11.2024 पारित किया है जिसकी अपील सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है।

7. ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा उक्त इंतकाल गलत रूप से खारिज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 26.11.2024 को जमाबन्दी निकलवाने से हुई और हल्का पटवारी से दिनांक 24.11.2024 को सम्पर्क किया और इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई और अपने अधिवकता से मिलकर उक्त इन्तकाल की अपील माननीय न्यायालय में की जा रही है जो अन्दर मियाद पेश है। जिस कारण अपीलान्ट ने धारा 05 व शपथ—पत्र नहीं लगाया है क्योंकि अपील के निर्णय के 60 (दो माह) के अन्दर अपील पेश की जाती है जो कि अपीलान्ट ने अन्दर मियाद अपील पेश की है।

अतः श्रीमान के अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योपुरा के आदेश निर्णय तारीख पेशी नामान्तरण संख्या 570 दिनांक 19.11.2024 निरस्त व अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

8. प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर विधिवत तामील के बावजूद रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी पर एकपक्षीय कार्यवाही होने व धारा 151 सीपीसी स्वीकार होने पर वकील अपीलार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

9. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बैठक दिनांक 21.11.2024 ग्राम पंचायत श्योपुरा ने प्रस्ताव संख्या 4 में वारिस सही नहीं एवं जांच सही नहीं होने के कारण निरस्त किया गया जबकि राबिया के वारिसों की जांच तहसीलदार, रामगढ़ से करवाई गई है। अपीलांट की बहन मृतक रजिया के वारिसों की जांच फर्द मौके पर संबंधित पटवारी ने पांच गवाहों के हस्ताक्षर अंकित करवाये हैं एवं अपीलान्ट की माता के फौत होने पर हल्का पटवारी रतननगर द्वारा वारिसान का सजरा तैयार किया गया है साथ ही अपीलान्ट द्वारा भी माता व बहन के फौत होने का उनके वारिसान होने का शप[illegible]री तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया है।

10. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान [illegible] किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलो[illegible] कि अपीलार्थियों द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा नामान्तरण क्रमांक 570

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19.11.2024 को बिना किसी विधिक कारण के केवल "बैठक दिनांक 21.11.2024 ग्राम पंचायत श्योपुरा ने प्रस्ताव संख्या 4 में वारिस सही नहीं एवं जांच सही नहीं होने के कारण" निरस्त किया गया। जबकि ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1119/985 तादादी 0.0505 हैक्ट., खसरा संख्या 1120/985 तादादी 1.0624 हैक्ट., खसरा संख्या 366 तादादी 2.4408 हैक्ट., खसरा संख्या 387 तादादी 0. 5691 हैक्ट, खसरा संख्या 920/350 तादादी 0.5059 हैक्ट., खसरा संख्या 921/349 तादादी 0.9106 हैक्ट., खसरा संख्या 984/350 तादादी 1.1129 हैक्ट., खसरा संख्या 986/349 तादादी 0.7588 हैक्ट. एवं खसरा संख्या 987/349 तादादी 0.8853 हैक्ट. कुल किता 09 तादादी 8. 2963 हैक्ट. वाके ढ़ाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू में से 1/12 हिस्सा राबिया पत्नी मोहम्मद के नाम खातेदारी में दर्ज थी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थियों द्वारा विरासत में नामान्तरण हेतु आवेदन क्रमांक 570 दिनांक 19.11.2024 प्रस्तुत किया गया। हल्का पटवारी द्वारा जांच कर मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करते हुए नामान्तरण हेतु उचित अनुशंसा की गई थी। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा "बैठक दिनांक 21.11.2024 ग्राम पंचायत श्योपुरा ने प्रस्ताव संख्या 4 में वारिस सही नहीं एवं जांच सही नहीं होने के कारण" निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है।

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण क्रमांक 570 दिनांक 19.11.2024 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक—21.10.2024 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 570 दिनांक 19.11.2024 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक—21.11.2024 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested